

कार्यालय अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-व्या०क०अधि०/खण्डपीठ/ — /2021 लख०:दि०:दिसम्बर 17-2021

-: संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक 1754/21 02.11.2021 के द्वारा दिनांक 20.12.21 से 24.12.21 तक बरेली में युगलपीठ के वादों के सुनवाई हेतु खण्डपीठ सदस्य पीठ बरेली व सदस्य पीठ-2 मेरठ की गठित की गई थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, मेरठ ने अपने पत्र सं० -92/21, दिनांक 16.12.21 द्वारा अपने अस्वस्थता के कारण के कारण गठित युगलपीठ से मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः सदस्य पीठ-2 मेरठ के पत्र दिनांक 16.12.21 में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20.12.21 से 24.12.21 तक बरेली में गठित युगलपीठ निरस्त की जाती है।

ह०/17.12.21

(विनय सिंह)

एच०जे०एस०

प्र० अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-व्या०क०अधि०/खण्डपीठ/1964/2021, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य पीठ-2, मेरठ/बरेली
- 2-वरिष्ठ लिपिक (विवरण/अग्रिम/ कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

(निबंधक)

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।